

न्यायालय :- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय,
मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :- 634 / 2026
उत्पन्न गम्हरिया थाना कांड संख्या :- 57 / 2026

1. बिटटु राम उर्फ बिटटु कुमार, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता- कामेश्वर राम
सा०- न्याबाजार सूर्यगंज, वार्ड नं०-16, थाना- गम्हरिया, जिला- मधेपुरा।

जमानत आदेश

23-06-2026

आवेदक 1. बिटटु राम उर्फ बिटटु कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन जो गम्हरिया थाना कांड संख्या :- 57 / 2022 अन्तर्गत धारा-126(2), 115(2), 118(1), 109, 3(5) वि०एन०एस० से संबंधित है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु नारायण यादव द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को आज एक आवेदन-पत्र दाखिल करते हुए प्रचालित किया गया एवं उनके द्वारा व्यक्त किया गया कि आवेदक बिटटु राम उर्फ बिटटु कुमार का पूर्व से अग्रिम जमानत आवेदन सं० 500 / 26 न्यायालय में चल रहा है। उसके बाद आज न्यायालय में मुझे पता चला कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन सं० 634 / 26 न्यायालय में दायर कर दिया गया है इस कारण आवेदक उक्त अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक की ओर से कुल एक अभियुक्त ने अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया था, तथा आवेदक बिटटु राम उर्फ बिटटु कुमार का पूर्व से अग्रिम जमानत आवेदन सं० 500 / 26 न्यायालय में चल रहा है। उसके बाद आज न्यायालय में मुझे पता चला कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन सं० 634 / 26 न्यायालय में दायर कर दिया गया है उक्त अग्रिम जमानत आवेदन में से उक्त आवेदक का नाम वापस लेने की प्रार्थना की गई है। अस्तु आवेदक की ओर से दाखिल उक्त अग्रिम जमानत आवेदन को वापसी के आधार पर निष्पादित किया जाता है।

लेखापित



(सतीश कुमार)

अपर सत्र न्या०-2, मधेपुरा।